राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1592/2021

राकेश कुमार जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.03.2021
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हबीब खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी 4 वर्षों की वार्षिक वेतनवृद्धि एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदत्त किए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किए जाने का निर्देश दिए जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 18.05.2021 को पटवारी के पद पर हुई थी और उसे तहसील कुशलगढ़ जिला बासवाड़ा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बासवाड़ा द्वारा गिरफ्तार किए जाने से आदेश दिनांक 01.04.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.03.2018 को निलम्बन से बहाल किया गया और उसे तहसील कार्यालय आबापुरा बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–29 के तहत् निलम्बन काल के वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान की मांग की गई परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14307/19 राकेश कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को

अभ्योवदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को तीन माह में अभ्यावेदन निस्तारण करने का आदेश दिनांक 26.08.2019 को पारित किया। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 06.09.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया और यह अंकित किया गया कि निलम्बन की बहाली सशर्त होने के कारण निलम्बन काल की वार्षिक वेतन वृद्धियां एवं 18 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है।

2. उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने पुनः विचार हेतु दिनांक 04.02.2020 को अभ्योवदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने पूर्व परीक्षण, जांच एवं विचार किए गए आधार पर दिनांक 16.12.2020 के द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.11.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी 4 वर्षों की वार्षिक वेतनवृद्धि एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदत्त किए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किए जाने का निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत् आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण दिनांक 11.04.2014 को निलम्बित किया गया था और शासन सचिव द्वारा आयोजित बैठक में समिति की अनुशंषा पर कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 05.03.2018 द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया गया। बहाली आदेश में किसी प्रकार का दण्ड का उल्लेख नहीं है, परन्तु आदेश में कार्मिक के बहाली की अभिशंषा माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सेंशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण उदयपुर के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है। साथ ही, राजस्थान सेवा नियम के नियम– 29 व54 के अनुसार कार्मिक के बहाल किए जाने की स्थिति में वेतन वृद्धि का प्रावधान है तथा उक्त नियमानुसार यदि कार्मिक को प्रदत्त किए जाने वाले वेतन भत्ते, अन्य परिलाभ अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम पर निर्भर है तथा कार्मिक को पूर्णरूप से क्षमा नहीं किया गया है, तो वह पूर्ण वेतन भत्ते का अधिकारस्वरूप दावा कर सकता है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को ना तो पूर्णतया दोषमुक्त किया गया है और न ही निलम्बन किया जाना अनुचित था। अतः निलम्बन काल के वेतन वृद्धि व अन्य परिलाभों पर दावा अनुचित है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बासवाड़ा द्वारा गिरफ्तार किए जाने से आदेश दिनांक 01.04.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया, परन्तु अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2018 को निलम्बन से बहाल किया गया। जहां तक निलम्बन काल के दौरान अपीलार्थी को वार्षिक वेतन एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी की बहाली माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सेंशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण उदयपुर के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है। राजस्थान सेवा नियम के नियम– 54(2) के अनुसार यदि कार्मिक को पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया हो अथवा उसका निलम्बन पूर्णतः अनुचित था, तो कर्मचारी उस अवधि का वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को पूर्णतया दोषमुक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में निलम्बन काल के दौरान वेतनवृद्धि एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य